न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	05.07.2018	26.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1—श्री फतन दास पुत्र श्री मोहनदास जाति सिन्धी निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स झमनदास बालचन्द कायस्तो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0
2— मैसर्स झमनदास बालचन्द कायस्तो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) (iv) (v)एवं दण्डनीय धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 26.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.04.2018 को समय 12.50 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स झमनदास बालचन्द कायस्तो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री फतन दास पुत्र श्री मोहनदास जाति सिन्धी निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स झमनदास बालचन्द कायस्तो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **लाल मिर्च पावडर (खुला)**रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री फतन दास को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता फतन दास एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified

आवेदक द्वारा दुकान मे लोहे के एक डिब्बे में रखा 5 किलोग्राम (10 पैकेट प्लास्टिक की थैली) **लाल मिर्च पावडर (खुला)**रखे हुये मे ... किलोग्राम (4 पैकेट 500—500

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1247

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

ग्राम)ज्यो का त्यो वास्ते नमूना जांच खरीदा जिराकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री फतन दास को रू0 320/—अक्षरे तीन सौ बीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर(खुला)** 2 किलोग्राम (4 पैकेट 500—500 ग्राम) को अलग—अलग चार साफ व सूखे कागज के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाइट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I—1886 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेट्कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1886 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. फतन दास के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2018/1360 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/240/एक्ट/2018/246 दिनांक 26.04.2018 अनुसार फतन दास से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एंव निर्बंधन) नं02.3.14(15) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** एंव खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का **लाल मिर्च पावडर (खुला)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उपधारा (ii) (iv) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक मय अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर (खुला)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)**का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)(iv)(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री फतन दास पुत्र श्री मोहनदास जाति सिन्धी निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स झमनदास बालचन्द कायस्तो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 18,000 (अक्षरे अठारह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

26.8.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner